



## e-Stamp



Certificate No.	: IN-UP03016905429951V
Certificate Issued Date	: 01-Sep-2023 03:49 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV) up14202204/ ARBARIPLUR SADAR/ UP-AMB
Unique Doc. Reference	: SUJIN-LFUP1420220401621799315744V
Purchased By	: SRI SEETARAM SAMAJIK SEWA TRUST RAGADGANJ ABN
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: SRI SEETARAM SAMAJIK SEWA TRUST RAGADGANJ ABN
Second Party	: Not Applicable
Stamp Duty Paid By	: SRI SEETARAM SAMAJIK SEWA TRUST RAGADGANJ ABN
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)



## (प्रारूप-अ)

Please write or type below this line


सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप-

मैं अनिल कुमार जायसवाल अध्यक्ष श्री सीताराम सामाजिक सेवा ट्रस्ट पता- रगड़गंज, पोस्ट- कटरिया, याकूबपुर जनपद- अम्बेडकर नगर हाथपूर्वक निम्नवत् बयान करते है

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा बी0डी0जायसवाल इंस्टीट्यूट पता रगड़गंज,(विजयगांव) पोस्ट- कटरिया, याकूबपुर जनपद- अम्बेडकर नगर नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम बी0डी0जायसवाल इंस्टीट्यूट पता रगड़गंज,(विजयगांव) पोस्ट- कटरिया, याकूबपुर जनपद- अम्बेडकर नगर में गाटा संख्या 235 रकबा 0.380 हे0 भूमि है।
3. यह कि,उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है,और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि,उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 235 रकबा 0.380 हे0 भूमि पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 12.08.2021 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रत्यगत डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित भवनों के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के सम्मत् उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के सम्मत् निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रविष्टान प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपाध्यक्ष लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटीआई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न तो भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक कक्षा कम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं अदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा मात्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का मलीभारति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्था में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

मेरे नाम सुभाष कुमार की सहमति/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सच है। यदि कोई भी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

  
 10 अक्टूबर